जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/परीक्षा–2/गोप./2009/335 दिनांक : 28.09.2009

प्रति,

प्राचार्य,

संबंधित अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय,

....

विषय – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में बी.एड. परीक्षा वर्ष 2007–08 के छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jiwaji.edu पर अंकित करने बावत्।

महोदय/महोदया,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश तथा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार बी.एड. परीक्षा वर्ष 2007–08 हेतु ऐसे महाविद्यालय, जिनके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि उनके प्राविधिक रूप से प्रविष्ट छात्र–छात्राओं की परीक्षा कराई जावे, ऐसे महाविद्यालय प्राविधिक रूप से नियमानुसार प्रविष्ट छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाइन विश्वविद्यालय की उपर्युक्त वेबसाइट पर दिनांक 05.10.2009 तक आवश्यक रूप से प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक घोषित नहीं किये जावेंगे। सत्र् 2007–08 हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रविष्ट छात्र–छात्राओं के परीक्षा आवेदन–पत्र पूर्व में ही भरवाये जा चुके हैं।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अंतिम काउन्सिलिंग के माध्यम से स्थानान्तरित छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन–पत्र भी ऑनलाइन भराये जाना हैं।

अतः संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राविधिक रूप से प्रविष्ट छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन–पत्र दिनांक 05.10.2009 तक अनिवार्यतः भरवायें। महाविद्यालय इस सम्बन्ध में अपने महाविद्यालय का कम्प्यूटर पासवर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लेवें।

ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात् भरे हुये आवेदन–पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर विश्वविद्यालय कार्यालय में दिनांक 07.10.2009 तक निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं हायर सेकेण्डरी (10+2), स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, अर्हता प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रतियों को प्राचार्य द्वारा अग्रेषित कर जमा करावें। इस प्रिंट आउट की प्रविष्टियों का मिलान विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रविधिक रूप से प्रविष्ट छात्र–छात्राओं की सूचियों से कराया जावेगा। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि केवल योग्य छात्र/छात्राओं के ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित किये जावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

कुलसचिव,

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. वित्ताधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप–कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)